भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पंजाब
प्लाट न. 21, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit) Punjab
Plot No. 21, Sector 17, Chandigarh-160017

स.: प्रशा-I/अ/2022-23/79 दिनाँक: 14.07.2022

कार्यालय परिपत्र

विषय: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) परीक्षा में राजपत्रित अधिकारीयों की ड्यूटी लगवाने के सन्दर्भ में I

कर्मचारी चयन आयोग, परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अधिकारियों के रूप में भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारियों (Serving and Retired) को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है। निरीक्षण अधिकारी आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी भूमिका पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और परीक्षाओं के संचालन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है । निरीक्षण अधिकारी का कर्तव्य माइक्रो ऑब्जर्वर की तरह होता है जिनका कार्य परीक्षा के संचालन की गतिविधियों की बारिकी से निगरानी करने एवं परीक्षा सही ढंग से आयोजित करने से सम्बन्धित है । जिन अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है, उन्हें एक शिफ्ट के लिए रु-750/- तथा डबल/ट्रिपल शिफ्ट परीक्षा के लिए रु-900/- का पारिश्रमिक दिया जाता है । यदि स्थान की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक है, तो यात्रा भत्ता के लिए रु-300/- का भुगतान किया जाता है।

इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि यदि कोई राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अपनी ड्यूटी लगवाने का इच्छुक है, तो वह संलग्न फॉर्मेट (Format) में अपना पूरा ब्यौरा (फोटो सहित) भर कर प्रशासन-I अनुभाग को दिनांक 31.07.2022 तक, आगे की कार्यवाही हेतु, प्रेषित करें I

हस्ता/-
उप-महालेखाकार (प्रशासन)

सं. Admn-I/GeneralMisc./2022-23/275 दिनांक: 14.07.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना हेतु प्रेषित की जाती हैः-

1. प्रधान महालेखाकार के सचिव ।
2. व.ले.प.अ. (आई.टी) को कार्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
3. कार्यालय आदेश फाईल।

14/7/2022

व.लेखा परीक्षा अधिकारी (प्रशा-I)